

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी सी VI/177
सं. पी सी-VI/2009/आई/आर एस आर पी/4

आर बी ई सं.5/2010
नई दिल्ली, दिनांक: 08.01.2010

महाप्रबंधक,
सर्भी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के लागू होने के परिणामस्वरूप रेल सेवाओं का वर्गीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा नीचे लिखे फुटनोट में उल्लिखित अपवादों और ऐसे अपवादों जो रेल मंत्रालय समय-समय पर किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विहित करें, के अध्यक्षीन निर्देश देते हैं कि इन आदेशों के जारी होने की तारीख से रेलवे सेवा पदों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा:

क्रम सं.	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1 (क) (ख)	एपेक्स वेतनमान (80000 रु. फिक्सड), उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, प्लस वेतनमान (रु.75500-80000) एवं उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान (रु.67000-79000) में रेलवे सेवा पद; और पे बैंड पीबी-4 (रु.37400-67000) में ग्रेड पे रु.10000, रु.8900 और रु.8700 और पे बैंड पीबी-3 (रु.15600-39100) में ग्रेड पे रु.7600, रु.6600 और रु.5400 वाले रेलवे सेवा पद परंतु नीचे दिए गए क्रम सं.(2) एवं (3) में आने वाले पदों को छोड़कर	समूह क (राजपत्रित)
2	पे बैंड पीबी-2 (रु.9300-34800) में ग्रेड पे रु.5400 और रु.4800 वाले रेलवे सेवा पद परंतु नीचे दिए गए क्रम सं.(3) में आने वाले पदों को छोड़कर. पे बैंड पीबी-3 (रु.15600-39100) में रु.5400 की ग्रेड पे वाले सहायक नर्सिंग अधिकारी के पद, ग्रेड पे रु.5400/6600 वाले प्रधानाचार्य / मुख्यध्यापक / मुख्यध्यापिका (सेकण्डरी/हाई स्कूल एवं समकक्ष) (बेसिक ग्रेड एवं वरिष्ठ ग्रेड) के पद तथा पे बैंड पीबी-3 (रु.15600-39100) में रु.5400 के ग्रेड पे वाले विभिन्न संगठित रेलवे सेवाओं एवं आरबीएसएस/आरबीएसएसएस के समूह 'ख' राजपत्रित पदों के नॉन-फंक्शनल ग्रेड.	समूह ख (राजपत्रित)

3	<p>पे बैंड पीबी-2 (रु.9300-34800) में ग्रेड पे रु.4600 और रु.4200, पे बैंड पीबी-1 (रु.5200-20200) में ग्रेड पे रु.2800, रु.2400, रु.2000, रु.1900 और रु.1800 वाले रेलवे सेवा पद.</p> <p>पे बैंड पीबी-2 (रु.9300-34800) में रु.4800 के ग्रेड पे वाले अनुभाग अधिकारी (लेखा)/वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), टीआईए/वरिष्ठ टीआईए एवं आईएसए/वरिष्ठ आईएसए (विलय पद), पे बैंड पीबी-2 (रु.9300-34800) में ग्रेड पे रु.4800 वाले नर्सिंग सिस्टर, पे बैंड पीबी-3 (रु.15600-39100) में ग्रेड पे रु.5400 वाले मेट्रन/मुख्य मेट्रन (विलय पद), पे बैंड पीबी-2/पीबी-3 (रु.9300-34800 / 15600-39100) में ग्रेड पे रु.4800/5400/6600 वाले प्राइमरी स्कूल टीचर/ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर / पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और समकक्ष (बेसिक/वरिष्ठ/सेलेक्शन ग्रेड) पदों को समूह ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहेगा.</p>	समूह ग
4	<p>पे बैंड 1 एस (रु.4440-7440) में ग्रेड पे रु.1650, रु.1600, रु.1400 और रु.1300 वाले रेलवे सेवा पद.</p>	समूह घ (जब तक पदों को अपग्रेड किया जाता है)

नोट:

(क) यदि किसी कर्मचारी को स्वस्थाने (इन-सिटू) पदोन्नति योजना/एसीपी अथवा एमएसीपी योजनाओं के अंतर्गत उच्चतर ग्रेड पे/पे बैंड में रखा जाता है तो उसे अपने मूल पद के वर्गीकरण में बने रहने दिया जाएगा.

(ख) नॉन-फंक्शनल पद, टीचिंग/स्कूल स्टाफ के वरिष्ठ एवं सेलेक्शन ग्रेड पदों का वर्गीकरण वही रहेगा जो कि मूल ग्रेड पद पर लागू है.

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सहायकों को समूह 'ख' (अराजपत्रित) के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहेगा जैसा कि उनके संबंधित सेवा नियमों में उल्लिखित है.

(घ) यदि वर्तमान में किसी विशेष पद का उसके संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत उपर्युक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त उच्चतर वर्गीकरण निर्धारित किया गया है तो उसे अगले आदेशों तक बनाए रखा जाएगा.

2. मौजूदा कैडरों में विशिष्ट वृद्धि के रूप में इन आदेशों के जारी होने की तारीख के बाद सृजित पदों का वर्गीकरण वही रहेगा जिस कैडर में वे पद जोड़े गए हैं.

3. किसी पद के संदर्भ में इन आदेशों के प्रयोजन के लिए पे बैंड से तात्पर्य है रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 और बोर्ड के दिनांक 11.09.2008 के पत्र सं. पी सी-VI/2008/आई/आर एस आर पी/1 की प्रथम अनुसूची के भाग ए, खंड I, कॉलम 5 में विनिर्दिष्ट रनिंग पे बैंड.

4. तदनुसार, राष्ट्रपति भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द I (पांचवां संस्करण - 1985) के नियम 107 को अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.110 (संलग्नक) के अनुसार संशोधन करने के लिए निदेश देती हैं.

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है.

6. कृपया पावती दें.

संलग्नक: संहिता शुद्धि पर्ची सं.110

कोशी थॉमस

(कोशी थॉमस)

संयुक्त निदेशक, वेतन आयोग II,
रेलवे बोर्ड

सं. पी सी-VI/2009/आई/आर एस आर पी/4

नई दिल्ली, दिनांक 08.01.2010

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) को प्रेषित।

HOW
कृते वित्तियुक्त/रेलवे


सं. पी सी-VI/2009/आई/आर एस आर पी/4.

नई दिल्ली, दिनांक 08.01.2010

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (क) सभी भारतीय रेलवे (ख) चिरेका, डीरेका, सांडका, पाँहिया एवं धुरा संयंत्र/बैंगलूर, डीपुका/पटियाला, रेडिका/कपूरथला (ग) म.प.प., (आर) मुंबई एवं चेन्नई (घ) मेट्रो रेलवे (कोलकाता) (ड) कॉफमी, तिलक ब्रिज नई दिल्ली (च) कोर/इलाहाबाद.
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (निर्माण) एवं महाप्रबंधक (निर्माण) (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे गुवाहाटी तथा (ख) दक्षिण रेल, बैंगलूर.
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली.
4. प्रधान सचिव भारतीय रेल सम्मेलन, मंत्रालय परिसर, गेट एण्ट्री रोड, नई दिल्ली
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त/लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

6. प्रबंध निदेशक (क) राइट्स, नई दिल्ली हाउस, 21, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली एवं (ख) इरकॉन, पालिका भवन, सेक्टर XIII, आर.के.पुरम, नई दिल्ली, (ग) क्रिस, सफदरजंग रेलवे स्टेशन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, (घ) आई.आर.एफ.सी., (ङ) कॉनकोर इंडिया लि.
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कॉकण रेल निगम, नई दिल्ली.
8. महानिदेशक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ, उत्तर प्रदेश.
9. संयुक्त निदेशक (वित्त), अ.अ.मा.सं., लखनऊ, उत्तर प्रदेश.
10. निदेशक (क) इरिएन, नासिक, (ख) इरिसेन, पुणे, (ग) इरिमि, जमालपुर, (घ) इरिसेट, सिकंदराबाद.
11. प्रिंसिपल, रेलवे स्टाफ कॉलेज/वडोदरा.
12. अध्यक्ष, आर.सी.सी., लोकसभा सचिवालय/नई दिल्ली.
13. अध्यक्ष, रेल दर अधिकरण, चेन्नै.
14. अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण, दिल्ली
15. अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम.
16. महाप्रबंधक (क) कोर/इलाहाबाद, (ख) मेट्रो रेल/कोलकाता.
17. संपादक, "भारतीय रेल", कमरा सं.469, रेल भवन, नई दिल्ली.
18. संपादक, "इंडियन रेलवे", कमरा सं.411, रेल भवन, नई दिल्ली.
19. संपादक, "रेल राजभाषा", कमरा सं.543, रेल भवन, नई दिल्ली.
20. अध्यक्ष, यात्री सेवा समिति.
21. अध्यक्ष, यात्री सुविधा समिति.
22. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), कॉफमो, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली.
23. निदेशक, कैमटेक/ग्वालियर.
24. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (क) म.प.प. (जी)/मुंबई, (ख) म.प.प. (आर)/चेन्नै.
25. मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय (दूरसंचार), इरकॉट शिवाजी ब्रिज/नई दिल्ली.
26. मुख्य खनन सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद.
27. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), मध्य रेल/मुंबई.
28. नोडल अधिकारी, छठा केन्द्रीय वेतन आयोग, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां/अ.अ.मा.सं./प्रशिक्षण संस्थान/मेट्रो रेल/कॉफमो/कोर/रेलवे स्टाफ कॉलेज आदि.
29. निदेशक (संचलन), रेलवे/कोलकाता.
30. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (कार्यान्वयन प्रकोष्ठ)
31. संपर्क अधिकारी, VI सीपीसी, क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां/अ.अ.मा.सं./प्रशिक्षण संस्थान/मेट्रो रेलवे/कॉफमो/कोर आरएससी आदि
32. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, लाजपत राय मार्केट/ दिल्ली




(कोशी थॉमस)

संयुक्त निदेशक, वेतन आयोग II,
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथं प्रेषित :

1. महासचिव, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड नई दिल्ली. (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली. (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद् एवं राष्ट्रीय परिषद् तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली. (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली.
5. सचिव, आर बी एस एस ग्रुप 'ए' अधिकारी संघ, कमरा नं. 506, रेल भवन, नई दिल्ली.
6. सचिव, आर बी एस एस ग्रुप 'बी' अधिकारी संघ.
7. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. महासचिव, ए आई आर पी एफ ए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' कर्मचारी संघ.
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रामोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
12. सचिव, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लॉईज एसोसिएशन, कमरा नं. 8, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001 (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).


कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

पीएसओ/सीनियर पीपीएस/पीपीएस/पीएस/सीनियर पीए/पीए :-

रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री (ए), रेल राज्य मंत्री (एम), अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य यातायात, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य विजली, सदस्य यांत्रिक, महानिदेशक/रेल स्वा. से., महानिदेशक/रे. सु.ब., सचिव, सभी अपर सदस्य, सभी कार्यालयिक निदेशक, निदेशक संयुक्त सचिव, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक/रेलवे बोर्ड तथा अन्य.

प्रतिलिपि प्रेषित :

ग्रेड 1, 2, 3 एवं 4, बजट, ई (पी एंड ए) 1 एवं 2, ई (जी), ई (एन जी) 1 एवं 2, पी सी-3, 4 एवं 5, ई (ट्रेनिंग), ई (एमपीपी), ई (एल आर) 1 एवं 2, एफ (ई) 1, 2 एवं 3, एफ (ई) विशेष, संरक्षा (ई), लेखा 3, ई आर बी - 1, 2, 3, 4, 5 एवं VI. सा. (पास), सा. (आवास), ई (कल्याण), ई (एससीटी), ई (ओ) 1, 2 एवं 3, (सीसी), ई (जीआर) 1 एवं 2, ई (जीपी), ई (जीसी), जन संपर्क, ई (डी एंड ए) शाखाएं/रेलवे बाई.

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द I (पांचवां संस्करण - 1985) द्वितीय पुनर्मुद्रण संस्करण - 2003 की अग्रिम शुद्धि पर्ची

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.110

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द I (पांचवां संस्करण - 1985) के नियम 107 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए :

107. (1) नीचे फुटनोट में उल्लिखित अपवादों तथा ऐसे अपवादों के अध्यक्षीन जो रेल मंत्रालय समय-समय पर किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विहित करें 08.01.2010 से प्रभावी रेल सेवा पदों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा :-

क्रम सं.	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1 (क) (ख)	एपेक्स वेतनमान (80000 रु. फिक्सड), उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, प्लस वेतनमान (रु.75500-80000) एवं उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान (रु.67000-79000) में रेलवे सेवा पद; और पे बैंड पीबी-4 (रु.37400-67000) में ग्रेड पे रु.10000, रु.8900 और रु.8700 और पे बैंड पीबी-3 (रु.15600-39100) में ग्रेड पे रु.7600, रु.6600 और रु.5400 वाले रेलवे सेवा पद परंतु नीचे दिए गए क्रम सं.(2) एवं (3) में आने वाले पदों को छोड़कर.	समूह क (राजपत्रित)
2	पे बैंड पीबी-2 (रु.9300-34800) में ग्रेड पे रु.5400 और रु.4800 वाले रेलवे सेवा पद परंतु नीचे दिए गए क्रम सं.(3) में आने वाले पदों को छोड़कर. पे बैंड पीबी-3 (रु.15600-39100) में रु.5400 की ग्रेड पे वाले सहायक नर्सिंग अधिकारी के पद, ग्रेड पे रु.5400/6600 वाले प्रधानाचार्य / मुख्यध्यापक / मुख्यध्यापिका (सेकण्डरी/हाई स्कूल एवं समकक्ष) (बेसिक ग्रेड एवं वरिष्ठ ग्रेड) के पद तथा पे बैंड पीबी-3 (रु.15600-39100) में रु.5400 के ग्रेड पे वाले विभिन्न संगठित रेलवे सेवाओं एवं आरबीएसएस/आरबीएसएसएस के समूह 'ख' राजपत्रित पदों के नॉन-फंक्शनल ग्रेड.	समूह ख (राजपत्रित)
3	पे बैंड पीबी-2 (रु.9300-34800) में ग्रेड पे रु.4600 और रु.4200, पे बैंड पीबी-1 (रु.5200-20200) में ग्रेड पे रु.2800, रु.2400, रु.2000, रु.1900 और रु.1800 वाले रेलवे सेवा पद. पे बैंड पीबी-2 (रु.9300-34800) में रु.4800 के ग्रेड पे वाले अनुभाग अधिकारी (लेखा)/वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), टीआईए/वरिष्ठ टीआईए एवं आईएसए/वरिष्ठ आईएसए (विलय पद), पे बैंड पीबी-2 (रु.9300-34800) में ग्रेड पे रु.4800 वाले नर्सिंग सिस्टर, पे बैंड पीबी-3	समूह ग

	(रु.15600-39100) में ग्रेड पे रु.5400 वाले मेट्रन/मुख्य मेट्रन (विलय पद), पे बैंड पीबी-2/पीबी-3 (रु.9300-34800 / 15600-39100) में ग्रेड पे रु.4800/5400/6600 वाले प्राइमरी स्कूल टीचर/ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर / पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और समकक्ष (बेसिक/वरिष्ठ/सेलेक्शन ग्रेड) पदों को समूह ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहेगा.	
4	पे बैंड 1 एस (रु.4440-7440) में ग्रेड पे रु.1650, रु.1600, रु.1400 और रु.1300 वाले रेलवे सेवा पद.	समूह घ (जब तक पदों को अपग्रेड किया जाता है)

नोट:

(क) यदि किसी कर्मचारी को स्वस्थाने (इन-सिटू) पदोन्नति योजना/एसीपी अथवा एमएसीपी योजनाओं के अंतर्गत उच्चतर ग्रेड पे/पे बैंड में रखा जाता है तो उसे अपने मूल पद के वर्गीकरण में बने रहने दिया जाएगा.

(ख) नॉन-फंक्शनल पद, टीचिंग/स्कूल स्टाफ के वरिष्ठ एवं सेलेक्शन ग्रेड पदों का वर्गीकरण वही रहेगा जो कि मूल ग्रेड पद पर लागू है.

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सहायकों को समूह 'ख' (अराजपत्रित) के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहेगा जैसा कि उनके संबंधित सेवा नियमों में उल्लिखित है.

(घ) यदि वर्तमान में किसी विशेष पद का उसके संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत उपर्युक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त उच्चतर वर्गीकरण निर्धारित किया गया है तो उसे अगले आदेशों तक बनाए रखा जाएगा.

2. मौजूदा कैडरों में विशिष्ट वृद्धि के रूप में इन आदेशों के जारी होने की तारीख के बाद सृजित पदों का वर्गीकरण वही रहेगा जिस कैडर में वे पद जोड़े गए हैं.

3. किसी पद के संदर्भ में इन आदेशों के प्रयोजन के लिए पे बैंड से तात्पर्य है रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 और बोर्ड के दिनांक 11.09.2008 के पत्र सं. पी सी-VI/2008/आई/आर एस आर पी/1 की प्रथम अनुसूची के भाग ए, खंड 1, कॉलम 5 में चिनिर्दिष्ट रनिंग पे बैंड.

(प्राधिकार: रेल मंत्रालय का दिनांक 08.01.2010 का पत्र सं. पी सी-VI/2009/आई/आरएसआरपी/4)

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

S.No.PC VI -177

RBE No.5/2010

No. PC VI/2009/I/RSRP/4

New Delhi, Dated 08.01.2010

The General Managers
All Indian Railways and Production Units
(As per mailing list)

**Sub: Classification of Railway Services consequent upon introduction
of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008.**

In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the President hereby directs that with effect from the date of issue of these orders, subject to exceptions made in the footnotes below and also subject to such exceptions as Ministry of Railways may, by any general or special orders make from time to time. Railway Service posts shall be classified as follows:


S.No.	Description of Posts	Classification of posts
1 (a) (b)	A Railway Service post in Apex Scale (Rs.80000-fixed), Higher Administrative Grade plus scale (Rs.75500-80000) and HAG Scale (Rs.67000-79600); and A Railway Service post carrying Grade Pay Rs.10000, Rs. 8900 and Rs.8700 in Pay Band PB-4 (Rs. 37400-67000) and Grade Pay Rs. 7600, Rs. 6600 and Rs. 5400 in Pay Band PB-3 (Rs.15600-39100) but excluding the posts falling in S.No. (2) & (3) below.	Group 'A' (Gaz.)
2	A Railway Service post carrying Grade Pay Rs.5400 and Rs.4800 in Pay Band PB-2 (Rs.9300-34800) but excluding the posts falling in S.No. (3) below: The posts of Assistant Nursing Officer carrying Grade Pay Rs.5400, Principal/Head Master/Head Mistress (Secondary/High School & equivalent) (Basic Grade & Sr. Grade) carrying Grade Pay Rs.5400/6600 in Pay Band PB-3 (Rs.15600-39100) and Non-functional Grade of Group 'B' Gaz. posts of various organized Railway services & RBSS/RBSSS carrying Grade Pay Rs.5400 in Pay Band PB-3 (Rs.15600-39100) will continue to be classified as Group 'B' (Gaz.).	Group 'B' (Gaz.)
3	A Railway Service post carrying Grade Pay Rs.4600 and Rs.4200 in Pay Band PB-2 (Rs.9300-34800), Grade Pay Rs.2800, Rs.2400, Rs.2000, Rs.1800 and Rs.1800 in Pay Band PB-1 (Rs.5200-20200). The posts of S.O.(Acs)/Sr. SO (Acs), TIA/Sr.TIA and ISA/Sr. ISA (Merged grades) carrying Grade Pay Rs.4800 in Pay Band PB-2 (Rs.9300-34800), Nursing Sister carrying Grade Pay Rs. 4800 in Pay Band PB-2 (Rs.9300-34800), Matron/Chief Matron (Merged Grade) carrying Grade Pay Rs.5400 in Pay Band PB-3 (Rs.15600-39100).	Group 'B'

	Primary School Teacher/Trained Graduate Teacher/Post Graduate Teacher and equivalent (Basic/Senior/Selection Grade) carrying Grade Pay Rs.4800/5400/6600 in Pay Band PB-2/PB-3 (Rs.9300-34800/15600-39100) will continue to be classified as Group 'C'.	
4	A Railway Service post carrying Grade Pay Rs.1650, Rs.1600, Rs.1400, Rs.1300 in Pay Band IS (Rs.4440-7440).	Group D (till the posts are upgraded)

Notes:

- (a) A person placed in higher Grade Pay/Pay Band under In-situ promotion scheme/ ACP or MACP Schemes will continue to retain the classification of his Basic Post.
- (b) The classification of Non-functional posts, Sr. & Selection Grade posts of Teaching/School staff will continue to remain the same as applicable to Basic Grade post.
- (c) The Assistants of Railway Board Sectt. Service & Personal Assistants of Railway Board Sectt. Stenographers Service will continue to be classified as Group 'B' (Non-gazetted) as laid down in respective service rules.
- (d) If higher classification than that indicated above is presently prescribed for any specific post in the respective service rules, the same shall continue till further orders.
2. Posts created subsequent to date of effect of these orders as specific additions to existing cadres shall have the same classification as posts in the cadre to which they are added.
3. For the purpose of these orders Pay Band, in relation to a post, means the running Pay Bands specified in Part A, Section I, Column 5 of the First Schedule to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 & Board's letter No. PC VI /2008/I/RSRP/1 dated 11.09.2008.
4. Accordingly, the President is pleased to direct that Rule 107 of Indian Railway Establishment Code Vol. I (Fifth Edition-1985) shall be amended as in the Advance Correction Slip No.110 (enclosed).
5. This issues with the concurrence of the Finance directorate of the Ministry of Railways.
6. Please acknowledge receipt.


Encl.: Code Correction Slip No.110


(Koshi Thomas)
Joint Director Pay Commission II
Railway Board

No. PC VI/2009/I/RSRP/4

New Delhi, Dated 08.01.2010

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.


for Financial Commissioner/Railways.

Advance correction slip to Indian Railway Establishment Code Vol.I (Fifth Edition- 1985)
Second reprint edition-2003.

Advance correction slip No.110

Rule 107 of Indian Railway Establishment Code Vol. I (Fifth Edition-1985) shall be substituted as under :

107. (1) With effect from 08.01.2010 subject to exceptions made in the footnotes below and also subject to such exceptions as Ministry of Railways may, by any general or special orders make from time to time, Railway Service posts shall be classified as follows :

S.No.	Description of Posts	Classification of posts
1 (a) (b)	A Railway Service post in Apex Scale (Rs.80000-fixed), Higher Administrative Grade plus scale (Rs.75500-80000) and HAG Scale (Rs.67000-79000); and A Railway Service post carrying Grade Pay Rs.10000, Rs. 8900 and Rs.8700 in Pay Band PB-4 (Rs. 37400-67000) and Grade Pay Rs. 7600, Rs. 6600 and Rs. 5400 in Pay Band PB-3 (Rs.15600-39100) but excluding the posts falling in S.No. (2) & (3) below.	Group A (Gaz.)
2	A Railway Service post carrying Grade Pay Rs.5400 and Rs.4800 in Pay Band PB-2 (Rs.9300-34800) but excluding the posts falling in S.No. (3) below: The posts of Assistant Nursing Officer carrying Grade Pay Rs.5400, Principal/Head Master/Head Mistress (Secondary/High School & equivalent) (Basic Grade & Sr. Grade) carrying Grade Pay Rs. 5400/6600 in Pay Band PB-3 (Rs.15600-39100) and Non-functional Grade of Group 'B' Gaz. posts of various organized Railway services & RBSS/RBSSS carrying Grade Pay Rs.5400 in Pay Band PB-3 (Rs.15600-39100) will continue to be classified as Group 'B' (Gaz.).	Group B (Gaz.)
3	A Railway Service post carrying Grade Pay Rs.4600 and Rs.4200 in Pay Band PB-2 (Rs.9300-34800), Grade Pay Rs.2800, Rs.2400, Rs.2000, Rs.1900 and Rs.1800 in Pay Band PB-1 (Rs.5200-20200). The posts of S.O. (Acs) / Sr. SO (Acs), TIA / Sr.TIA and ISA / Sr. ISA (Merged grades) carrying Grade Pay Rs.4800 in Pay Band PB-2 (Rs.9300-34800), Nursing Sister carrying Grade Pay Rs. 4800 in Pay Band PB-2 (Rs.9300-34800), Matron / Chief Matron (Merged Grade) carrying Grade Pay Rs.5400 in Pay Band PB-3 (Rs.15600-39100), Primary School Teacher/Trained Graduate Teacher/Post Graduate Teacher and equivalent (Basic/Senior/Selection Grade) carrying Grade Pay Rs.4800/5400/6600 in Pay Band PB-2/PB-3 (Rs.9300-34800/15600-39100) will continue to be classified as Group 'C'.	Group C
4	A Railway Service post carrying Grade Pay Rs.1650, Rs.1600, Rs.1400, Rs.1300 in Pay Band IS (Rs.4440-7440).	Group D (till the posts are upgraded)

Notes:

- (a) A person placed in higher Grade Pay / Pay Band under In-situ promotion scheme / ACP or MACP Schemes will continue to retain the classification of his Basic Post.
 - (b) The classification of Non-functional posts, Sr. & Selection Grade posts of Teaching / school staff will continue to remain the same as applicable to Basic Grade post.
 - (c) The Assistants of Railway Board Sectt. Service & Personal Assistants of Railway Board Sectt. Stenographers Service will continue to be classified as Group 'B' (Non-gazetted) as laid down in respective service rules.
 - (d) If higher classification than that indicated above is presently prescribed for any specific post in the respective service rules, the same shall continue till further orders.
- (2) Posts created subsequent to date of effect of these orders as specific additions to existing cadres shall have the same classification as posts in the cadre to which they are added.
- (3) For above purpose Pay Band, in relation to a post, means the running Pay Bands specified in Part A, Section I, Column 5 of the First Schedule to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 & Board's letter No. PC VI / 2008/I/RSRP/1 dated 11.09.2008.

(Authority: Ministry of Railway's letter No. PC VI/2009/I/RSRP/4 dated 08.01.2010)

Copy forwarded to: -

1. FA& CAO's (a) All Indian Railway, (b) CLW, DLW, ICF, Wheel & Axle Plant/Bangalore, DCW/ Patiala, RCF/ Kapurthala (c) MTP (R) & Chennai (d) Metro Railway (Calcutta). (e) COFMOW, Tilak Bridge, New Delhi (f) CORE / Allahabad.
2. General Manager (Const.) & FA& CAOs (Const.) (a) Northeast Frontier Railway Guwahati and (b) Southern Railway, Bangalore.
3. The Pay & Accounts Officer, Railway Board, Rail Bhawan, New Delhi.
4. The General Secretary, IRCA/ New Delhi.
5. The Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow.
6. The Managing Directors (a) RITES, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi, (b) IRCON, Palika Bhawan, Sector XIII, R.K. Puram New Delhi (c) CRIS Safdarjung Rly. Station Chanakyapur, New Delhi (d) IRFC, (e) CONCOR of India Ltd.
7. The Chairman- Cum Managing Director, Konkan Railway Corporation, New Delhi.
8. Director General RDSO Lucknow.
9. Joint Director (Finance), RDSO Lucknow.
10. The Director (a) IRIEEN, Nasik, (b) IRICEN, Pune, (c) IRIMEE, Jamalpur, (d) IRISSET, Secunderabad
11. The Principal, Railway Staff College, Vadodara.
12. The Chairman RCC Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
13. The Chairman RRT, Chennai.
14. The Chairman RCT,
15. The Chairman RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Calcutta, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Siliguri, Secunderabad and Trivandrum.
16. The General Manager (a) C.O.R.E./Allahabad, (b) Metro Railway / Calcutta.
17. The Editor, 'Bhartiya Rail', Room No.469, Rail Bhavan, New Delhi.
18. The Editor, 'Indian Railways', Room No.411, Rail Bhavan, New Delhi..
19. The Editor, 'Rail Rajbhasha', Room No.543, Rail Bhavan, New Delhi..
20. The Chairman Passenger Services committee.
21. The Chairman, Passenger Amenities Committee.
22. The C.A.O.(R), COFMOW, Tilak Bridge, New Delhi.
23. The Director, CAMTECH/ Gwalior.
24. The C.A.Os, (a) MTP(R) Mumbai, (b) MTP(R) Chennai.
25. Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railway Centre Organization for Telecom Consultancy, Shivaji Bridge, New Delhi.
26. The Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad.
27. The C.A.O. (Const). Central Railway, Mumbai.
28. The Nodal Officer, Vth CPC, All Indian Railways and PUs/ RDSO/Training Institutes/ Metro Railway/ COFMOW/ CORE/ RSC/etc.
29. The Director (Movement) Railways/ Calcutta.
30. Ministry of Finance, Department of Expenditure (Implementation Cell).
31. Liasion Officer, VI CPC, Zonal Railways/Production Units/RDSO/Training Institutes/Metro Railway/COFMOW/CORE/RSC etc.
32. M/s Bahari Brothers, Lajpat Rai Market, Delhi.



(Koshy Thomas)
Joint Director Pay Commission II
Railway Board.

Copy forwarded to :-

- 1) The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
- 2) The General Secretary, AIRF (with 35 spares)
- 3) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Feroz shah Road, New Delhi (with 90 spares).
- 4) The Secretary General FROA.
- 5) The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association.
- 6) The President, RBSS Group 'B' Officers' Association.
- 7) The Secretary General, IRPOF.
- 8) The Secretary General, All India RPF Association.
- 9) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
- 10) The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.
- 11) Railway Board Promotee Officers Association, Room No, 341-C, Rail Bhawan.
- 12) The Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 8, Rail Bhawan (with 5 spares)


for Secretary, Railway Board.

Copy to :-

PSO/Sr.PPS/PPSs/PSs/Sr. PAs/PAs to :-

MR, MSR(A), MSR(M), CRB, FC, MS, MT, ME, ML, MM, DG/RHS, DG/RPF, Secretary, AM(B), AM(CE), AM(C), AM(C&IS), AM(Elec), AM(F), AM(Plg), AM(Projects), AM(Sig), AM(Mech), AM(PU), AM(RS), AM(T&C), AM(Telecom), AM(T), AM(Vig), AM(Works), Adv.(Staff), Adv(F), Adv(IR), Adv(L&A), Adv(Safety), Adv.(Infrastructure), Adv(Legal), Add. Chief Economic Adviser, Secretary, ED(Plg), ED(A), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Chg), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF(C), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, EDH(P), EDH(G), ED(LM), ED(MIS), EDE(GC), EDT(MPP), EDME(Chg), EDME(Fr), EDME(Tr), EDME(TOT), EDME(Dev), EDME(W), EDPC-I, EDPC-II, ED(PP), ED(Proj)-DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), ED(Sig), ED(S&E), EDRS(C), EDRS(P), EDRS(G), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTrack(M), EDTrack(MC), EDTrack(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDT(R), EDTC(FM), EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(S), EDV(T), ED(W), DF(E), JS, JS(G), JS(E), JS(C), DS(E), DS(D), DS(G), JDPG, DE(N) II, Dir(MPP), DE(G), DPC-I, JDPE, JDPCII, JDE(N), JDE(P&A), JDE(GC), JDE(Gaz), JDE(W), JDE(GP), JDE(Res.) I, JDE(L), DDF(E) I, II & III, DDPC-V, DDPC-VI, DDE(P&A)II, DDE(P&A)III, USE(O)I, US(D&A) I & II, US (Cash), DDE(LR) I, II & III/Railway Board

Copy to :-

Cash - I, II, & III, Budget, E(P&A) I & II, E(G), E(NG) I & II, PC - III, PC-IV, PC-V, E(Trg.), E(MPP), E(LR) I & II, F(E) - I, II & III, F(E) Special, Security (E), Accounts III, ERB - I, II, III, IV, V & D, G(Pass), G(Acc), E(Welfare), E(SCT), E(O) I, II III & III(CC), E(GR) I & II, E(GP), E(GC), PR, E(D&A)/branches of Railway Board.